

प्रेस नोट दिनांक 06.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

**थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा “ आत्महत्या के लिए उकसाना” के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त धर्मराज यादव गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत जमलामऊ से कुढ़ा गाँव की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया-

**प्रतापगढ़।**

वादी निवासी ग्राम पंचायत फूलपुर मौरी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि उसकी बहन अर्चना, उम्र लगभग 40 वर्ष, का विवाह वर्ष 2010 में ग्राम मुगलपुर मलाक तिलहाई थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ निवासी धर्मराज यादव पुत्र शिव बहादुर के साथ हुआ था। विवाह के उपरांत ससुराल पक्ष के लोग, जिनमें ससुर शिव बहादुर, सास, देवरानी शशि, देवर संदीप एवं पति धर्मराज द्वारा उसे लगातार मारपीट एवं प्रताड़ित किया जाता था। उक्त प्रताड़ना से त्रस्त होकर अर्चना द्वारा दिनांक 03.04.2026 को दिन में अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इस संबंध में थाना बाघराय पर मु0अ0सं0 78/2026 धारा 85/108 बीएनएस बनाम 05 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना बाघराय के उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 रविन्द यादव व का0 मानवेन्द्र राजपूत द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्तों, चेकिंग संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति के दौरान मु0अ0सं0 78/2026 धारा 85/108 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त धर्मराज यादव पुत्र शिवबहादुर यादव निवासी पश्चिम का पुरवा मलाक तिलहाई मुगलपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 42 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत जमलामऊ से कुढ़ा गाँव की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

धर्मराज यादव पुत्र शिवबहादुर यादव निवासी पश्चिम का पुरवा मलाक तिलहाई मुगलपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 42 वर्ष।

**पुलिस टीम का विवरण-**

उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 रविन्द यादव थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

### थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन: युवक की हत्या कर शव पेड़ से लटकाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, सई नदी के किनारे मिला था शव।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 05 अभियुक्त/अभियुक्ता को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़ ।

वादी निवासी ग्राम मत्तपुर बोझी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ के पुत्र उम्र करीब 22 वर्ष का शव पन्ना घाट सई नदी के किनारे झाड़ियों में रस्सी से लटका हुआ पाया गया था। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय से उनके भाई को घर बुलाकर गला दबाकर हत्या कर दी गई तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को पेड़ पर लटका दिया गया, साथ ही पूर्व में भी मारपीट की जाती थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 85/2026 धारा 103(1)/238a/115(2)/3(5) बीएनएस बनाम 1. रमाकान्त यादव पुत्र पारसनाथ यादव, 2. रिकू यादव, 3. टन्नू यादव, 4. इन्द्रावती पत्नी रमाकान्त यादव, 5. कर्मराज यादव पुत्र रामआसरे यादव निवासीगण ग्राम मत्तपुर बोझी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थाना बाघराय के थाना प्रभारी लीलापुर श्री बैकुण्ठनाथ पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 शिशिर पटेल, का0 दिनेश कुमार, का0 सौरभ पाण्डेय, म0का0 भारती परमार मय चालक का0 योगेश कुमार व उ0नि0 अंकुर कैथवास मय हमराह म0उ0नि0 ज्योति सिंह, का0 कुन्दन शर्मा, म0का0 दीपिका यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्तों के दौरान मु0अ0सं0 85/2026 धारा 103(1)/238a/115(2)/3(5) बीएनएस में वांछित 05 अभियुक्त/ अभियुक्ता, 01. अभियुक्त रमाकान्त यादव पुत्र पारसनाथ यादव उम्र करीब 53 वर्ष, 02. अभियुक्त कर्मराज यादव पुत्र राम आसरे यादव उम्र करीब 27 वर्ष, 03. अभियुक्ता रिकू यादव उर्फ रेनु पुत्री रमाकान्त यादव उम्र करीब 24 वर्ष, 04. अभियुक्ता टन्नू यादव उर्फ रागनी पुत्री रमाकान्त यादव उम्र करीब 22 वर्ष, 05. अभियुक्ता इन्द्रावती पत्नी रमाकान्त यादव उम्र करीब 48 वर्ष समस्त निवासीगण मत्तपुर बोझी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

01. अभियुक्त रमाकान्त यादव पुत्र पारसनाथ यादव उम्र करीब 53 वर्ष निवासी मत्तपुर बोझी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

02. अभियुक्त कर्मराज यादव पुत्र राम आसरे यादव उम्र करीब 27 वर्ष निवासी मत्तपुर बोझी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
03. अभियुक्ता रिकू यादव उर्फ रेनू पुत्री रमाकान्त यादव उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मत्तपुर बोझी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
04. अभियुक्ता टन्नू यादव उर्फ रागनी पुत्री रमाकान्त यादव उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मत्तपुर बोझी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
05. अभियुक्ता इन्द्रावती पत्नी रमाकान्त यादव उम्र करीब 48 वर्ष समस्त निवासी मत्तपुर बोझी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी लीलापुर श्री बैकुण्ठनाथ पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 शिशिर पटेल, का0 दिनेश कुमार, का0 सौरभ पाण्डेय, म0का0 भारती परमार मय चालक का0 योगेश कुमार व उ0नि0 अंकुर कैथवास मय हमराह म0उ0नि0 ज्योति सिंह, का0 कुन्दन शर्मा, म0का0 दीपिका यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

**थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना बाघराय पुलिस द्वारा कुल 1.100 किग्रा नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त शिव कुमार प्रजापति को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत धनऊ का पुरवा के पास शारदा नहर की पुलियाग्राम शकरदहा से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना बाघराय के उ0नि0 वीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 दिनेश कुमार, का0 सचिन ठेनुआ, का0 शशांक राय मय चालक का0 सौरभ शर्मा द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत धनऊ का पुरवा के पास शारदा नहर की पुलियाग्राम शकरदहा से 01 अभियुक्त शिव कुमार प्रजापति पुत्र हरिश्चन्द्र प्रजापति उम्र करीब

25 वर्ष निवासी ग्राम धनऊ का पुरा शकरदहा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को कुल 1.100 किग्रा नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त शिव कुमार प्रजापति के कब्जे से कुल 1.100 किग्रा नाजायज गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 80/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- शिव कुमार प्रजापति पुत्र हरिश्चन्द्र प्रजापति उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम धनऊ का पुरा शकरदहा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

कुल 1.100 किग्रा नाजायज गांजा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 वीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 दिनेश कुमार, का0 सचिन ठेनुआ, का0 शशांक राय मय चालक का0 सौरभ शर्मा थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

**थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़**

चोरी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त रमेश तिवारी उर्फ मुकुन्द तिवारी को क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामापुर को जाने वाली सडक के पास गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ०नि० चित्तर सिंह मय हमराह का बौद्ध प्रकाश द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्तो, चेकिंग संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति के दौरान मु०अ०सं० 66/2026 धारा 317 (2)/317 (4)/318 (4)/338/336 (3)/340(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त रमेश तिवारी उर्फ मुकुन्द तिवारी पुत्र सूरजलाल तिवारी निवासी ग्राम रामापुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामापुर को जाने वाली सडक के पास से गिरफ्तार किया गया है।

इससे पूर्व दिनांक 05.04.2026 को थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय अभियुक्त अमरनाथ तिवारी पुत्र छोटई तिवारी उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम खनियापुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से चोरी की 01 अदद मो०सा० स्प्लेंडरप्लस व करीब 50 किलो घंटा पीतल का, घण्टा चोरी बिक्री का 1850 रूपए नगद एवं 01 अदद लोहे का कटर बरामद की गई। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना सांगीपुर में मु०अ०सं० 66/2026 धारा 317 (2)/317 (4)/318 (4)/338/336 (3)/340(2) बीएनएस बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रमेश तिवारी उर्फ मुकुन्द तिवारी पुत्र सूरजलाल तिवारी निवासी ग्राम रामापुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० चित्तर सिंह मय हमराह का० बौद्ध प्रकाश थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।